भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

कोषागार-मीरजापुर

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 930538

NOTARY R. LAL TH-CHUNAR DIST.-MIRZAPUR Regd. No. 28/2012011 STATE OF UTTAR PRADESH

(प्रारुप–अ)

शपथ–पत्र

हम तेज बहादुर सिंह एवं पारस नाथ सिंह क्रमश अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक आशा ग्रामोद्योग संस्थान पचेवरा ,चुनार, मीरजापुर उत्तर प्रदेश शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करते है–

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा रामरत्ती देवी कालेज आफ फार्मेसी पता– ग्राम– सड़ौली ,पो0–मरहेठा, जिला– मीरजापुर उत्तर प्रदेश नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र–2023–2024 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम आशा ग्रामोद्योग संस्थान ग्राम–सड़ौली,पो0–मरेहठा, जिला–मीरजापुर में गाटा सं0 89 , 90मि, 111ग, 113,114 रकबा क्रमश: 0.1805 है0 ,0.2017 है0, 0.1265 है0 , 0.337है0 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8457 हेक्टेयर)/2.087 एकड़ भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 89 , 90मि, 111ग, 113,114 रकबा क्रमश: 0.1805 है0 ,0.2017 है0,0.1265 है0 , 0.337है0 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8457 हेक्टेयर)/2.087 एकड़ भूमि पर उपरोक्त नाम कि डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान कि स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी कि बैठक दिनांक 27.08.2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

स्टाम्प संख्या ...1566... दिनांक ...18-11-22...

स्टाम्प मूल्य ...100=00... प्रयोजन ...शपथ पत्र...

क्रेता का नाम, पिता का नाम, पता ...[illegible]...

...[illegible]...

फूलचन्द

स्टाम्प विक्रेता

तहसील चुनार जिला—मीरजापुर

Identified by Sri ...

... by examining ...

... understands ...

... and the contents ...

... by me Serial No. ...

Received Rs. ...

NOTARY

R. LAL

TH-CHUNAR

DIST-MIRZAPUR

Regd No

28/20/2011

STATE OF UTTAR PRADESH

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों की ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि , इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया ,नई दिल्ली के नियमों के अर्न्तगत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान की ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फॉर्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है,और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10.यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम,प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार सुसज्जित किया जायेगा।

11.यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12.यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा।इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी।

13.मै घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी,कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी।ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊगा।

उपरोक्त दफा 01 से 13 तक मेरी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है कोई भी तथ्य गलत नही है। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर सचिव — हस्ताक्षर अध्यक्ष

NOTARY
R. LAL
TH-CHUNAR
DIST-MIRZAPUR
Regd. No.
28/2012011
STATE OF UTTAR PRADESH